

रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों के कर्तव्य
(रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 11)

- अ. अपने से उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये उचित आदेशों का तत्परता से अनुपालन करना।
- ब. रेल संपत्ति, यात्री परिसर व यात्रियों को सुरक्षा एवं वचाव प्रदान करना।
- स. रेल संपत्ति, यात्री परिसर व यात्रियों के आवागमन में आनेवाली किसी भी बाधा को दूर करना और
- द. ऐसा कोई कार्य करना जो रेल संपत्ति, यात्री परिसर व यात्रियों की सुरक्षा एवं वचाव के लिए बेहतर साबित हो।